न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/ 9/19/2-4038 दायर दिनांक 14/3/19

उनवान

1. राधाकिशन उर्फ राधेश्याम पिता हरलाल मेनारिया जाति बाहम्ण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. वजेलाल पिता बोतलाल जाति मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. गणेश पिता बरदीचन्द जाति भील निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. मागीलाल पिता बरदीचन्द जाति भील निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. नारायण पिता वेरीलाल जाति मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 14/5/25

—ःनिर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा चोरवडी पटवार हल्का चोरवडी तहसील कपासन की खाता संख्या 170 में स्थित आराजी संख्या 1569, 1579, 1584, 1589 कुल किता 4 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय–दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर–बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरूद्व एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार

Scanned by CamScanner

भूपालसागर को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा चोरवडी पटवार हल्का चोरवडी तहसील कपासन की खाता संख्या 170 में स्थित आराजी संख्या 1569, 1579, 1584, 1589 कुल किता 4 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड़ विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner